न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : लोकेश कुमार मीना, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 27/2019 स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र

1. हरसहाय } पुत्रान मंगला
2. लक्ष्मीनारायण
3. छोट्या पुत्र बाल्या
4. अमरसिंह } पुत्रान राधाकिशन
5. नरेश
6. हंसा } पुत्रान परत्या
7. रामेश्वर
8. श्रीचन्द } पुत्रान गंगाधर
9. बोदन
10. रघुवीर } पुत्रान गिरधारी
11. सीताराम
12. सरदार } पुत्रान हीरालाल
13. मोहनसिंह
14. मानसिंह
15. सुरेश
16. रत्तीराम
17. हरिवल्लभ } पुत्रान रामसहाय
18. गंगासहाय
19. विजयसिंह
20. विश्राम } पुत्रान जीता
21. रामसिंह
22. हजारी } पुत्रान मूल्या
23. किशनलाल
24. सुमेर } पुत्रान कंचन
25. विजेन्द्रसिंह
26. शिवचरण
27. सुवालाल } पुत्रान बाला
28. रामसिंह
29. धर्मसिंह
30. मेहनलाल
31. रतनलाल
32. मुरली } पुत्रान रामस्वरूप
33. बनेसिंह
34. रंगलाल
35. रामजीलाल पुत्र हेता
36. गोपाल } पुत्रान रामनिवास
37. भगवान सहाय
38. सुरजमल पुत्र भौरया
39. मन्नालाल } पुत्रान गोविन्द सहाय
40. राजेन्द्र
41. गोविन्दा पुत्र रामदेवा
42. धर्मसिंह } पुत्रान रामजीलाल
43. अमरसिंह
44. सुशील
45. धारासिंह पुत्रान हरिराम
46. रामकुवार } पुत्रान सोन्या
47. रामकरण
48. गिर्राज

अति० जिला कलक्टर
दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

49. जयसिंह पुत्र गोकुल
50. हरिसिंह
51. रामसिंह } पुत्रान रामधन
52. रघुवीर
53. रामरतन पुत्र छाज्या
54. गिर्राज } पुत्रान रामसहाय
55. मुकेश
56. हरसहाय } पुत्रान सेडूराम
57. जयराम
58. सोदान } पुत्रान धन्ना
59. छोट्या
60. अमरसिंह } पुत्रान श्रीकिशन
61. भगवान सहाय
62. राजाराम } पुत्रान लछमन
63. निहालसिंह
64. रामकिशोर उर्फ हट्या पुत्र अर्जुन
65. रामबल पुत्र अर्जुन
66. मोती पुत्र बीरबल
67. गंगासहाय
68. जेहरीलाल } पुत्रान सोन्या
69. रामफूल
70. किशन पुत्र शिम्भू
71. छोट्या पुत्र गोपी

समस्त जाति गुर्जर निवासी भेदाडी गुजरान तहसील बसवा जिला दौसा।

प्रार्थीगण

बनाम

1. सुश्री पिंकी मीना उप जिला कलक्टर बांदीकुई जिला दौसा।
2. गिर्राज पुत्र रेवड
3. तीजो पत्नि रेवड
4. मंगलाराम पुत्र रेवड
5. मूलचन्द पुत्र रेवड
6. रामखिलाडी पुत्र रेवड
7. रामकिशन पुत्र कन्हैयालाल
8. रामकरण पुत्र कन्हैयालाल
9. लालाराम पुत्र कन्हैयालाल (फौत)
9.1 उर्मिला देवी पत्नि लालाराम
9.2 विनोद पुत्र लालाराम
9.3 राजेश पुत्र लालाराम
9.4 लक्ष्मणसिंह पुत्र लालाराम
10 छोट्या पुत्र कन्हैयालाल
11. गोकुल पुत्र कन्हैयालाल
12. राजेन्द्र पुत्र घासी
13. गुलाब देवी पत्नि घासी

} समस्त जाति मीना निवासी ग्राम नन्देरा तहसील बसवा जिला दौसा।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अप्रार्थीगण

(प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण पत्रावली सं. 44/2019 उनवानी हरसहाय बनाम गिर्राज न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट बांदीकुई दावा उदघोषणा, इन्द्राज दुरुस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा)

प्रति० जिला कलक्टर
दौसा

प्र. सं. : 27/2019 प्रा. पत्र स्था.

उपस्थिति : श्री दयाराम गुर्जर अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित।
: श्री श्याम सुन्दर शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थीगण उपस्थित ।

:— निर्णय :—

दिनांकः 06.09.2019

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ग्राम भेदाडी गुजरान तहसील बसवा जिला दौसा के काश्तकार पेशा व्यक्ति है। जिनकी शामलाती भूमि ग्राम भेदाडी गुजरान तहसील बसवा में स्थित है। प्रार्थीगण ने एक वाद अधीनस्थ न्यायालय उप जिला कलक्टर बांदीकुई के समक्ष इस आशय का पेश किया कि ग्राम भेदाडी गुजरान तहसील बसवा जिला दौसा में भूमि काश्त खाता सं. नया 136, पुराना 128 के खसरा नं. 733 रकबा 0.33 है. बारानी ए, खसरा नं. 734 रकबा 0.34 है. बारानी ए, खसरा नं. 735 रकबा 0.33 है. बारानी ए, खसरा नं. 736 रकबा 0.23 है. बारानी ए, खसरा नं. 737 रकबा 0.21 है. बारानी ए, खसरा नं. 739 रकबा 0.04 है. गैर मुमकिन रास्ता, खसरा नं. 740 रकबा 0.05 है. बंजड, खसरा नं. 741 रकबा 0.21 है. बारानी ए, खसरा नं. 742 रकबा 0.30 है. बारानी ए, खसरा नं. 743 रकबा 0.55 है. बारानी ए, खसरा नं. 744 रकबा 0.55 है. बारानी ए, खसरा नं. 745 रकबा 0.37 है. बारानी ए, खसरा नं. 746 रकबा 0.21 है. बारानी ए, खसरा नं. 748 रकबा 0.31 है. बारानी ए, खसरा नं. 749 रकबा 0.24 है. बारानी ए, कुल किता 15 कुल रकबा 4.24 है. स्थित है। जिसमे वर्तमान राजस्व अभिलेख जमाबन्दी में अप्रार्थी सं. 1 लगा. 5 व अप्रार्थीगण सं. 6 लगा. 10 के पिता कन्हैयालाल पुत्र पांचूराम व अप्रार्थी सं. 11 के पिता व अप्रार्थी सं. 12 के पति घासी पुत्र बोदन का इन्द्राज हो रहा है। उक्त भूमि काश्त की वर्तमान भू-प्रबन्धक से पूर्व साबिका खसरा नं. 242 रकबा 4 बीघा 3 बिस्वा बारानी अव्वल, साबिका नं. 243 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा बारानी अव्वल कुल किता 3 कुल रकबा 16 बीघा 15 बिस्वा था जिसका जमाबन्दी(खेवट खतौनी) संवत 2012-2015 में उपकृषक के कॉलम में प्रार्थीगण के पूर्वजो छाजू वल्द मुकन्दा 1/4 हिस्सा व सुन्दर वल्द हरजी व हेता वल्द खवानी हिस्सा 1/4 तथा बाला, मंगला, गंगाधर, परता पुत्र मांग्या हिस्सा 1/4 व भौरा वल्द मूला हिस्सा 1/4 सा. देह गुजरान का अंकन हो रहा है। उक्त भूमि पर प्रार्थीगण के पूर्वज व प्रार्थीगण काबिज होकर काश्त एवं उपयोग-उपभोग करते रहे है। अप्रार्थीगण सं. 2 लगायत 13 का कभी कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है ना ही अप्रार्थीगण ग्राम भेदाडी गुजरान में रहते है। प्रार्थीगण के पूर्वजो भूमि मुतदाविया पर कब्जा काश्त रहा है। जिसका हल्का पटवारी द्वारा 1.4.1960 को टीनेन्सी एक्ट की धारा 19 के तहत छाजू पुत्र मुकन्दा हिस्सा 1/4, सुन्दर पुत्र हरजी व हेता पुत्र खवानी का हिस्सा 1/4 व बाला, मंगला, गंगाधर, परता पुत्रान मांग्या हिस्सा 1/4 व भौरा पुत्र मूंसा हिस्सा 1/4 का अंकन रक नामान्तरकरण रजिस्टर में इन्द्राज कर अपने हस्ताक्षर कर दिये, जिसको कैम्प बिवाई में उक्त नामान्तरकरण के बिना प्रार्थीगण के पूर्वजों को नोटिस दिये व बिना सूचना व सुनवाई के अस्वीकार कर दिया। भूमि मुतदाविया पर अप्रार्थीगण सं. 2 लगा. 6 व 7 लगा. 11 के पिता कन्हैयालाल पुत्र पांचूराम व अप्रार्थीगण सं. 11, 12 के पिता घासी पुत्र बोदन का नाम गलत इन्द्राज हो रहा है। राजस्व अभिलेख जमाबन्दी में कन्हैयालाल पुत्र पांचूराम का इन्द्राज है जिसमें सहायक भूप्रबन्ध अधिकारी के द्वारा नामान्तरकरण पर रोक लगा रखी है। आराजी खसरा नं.733, 734, 735, 737, 742, 743, 744, 745, 746 के कुल हिस्से में होकर राष्ट्रीय राजमार्ग एन.एच. 148 एन निकल रहा है। अप्रार्थीगण जमाबन्दी में गलत इन्द्राज हिस्से के आधार पर अवाप्तशुदा भूमि का मुआवजा उठा सकते है। अप्रार्थीगण सं. 1 लगा. 13 द्वारा एक प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 का अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। जिसका मिन प्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत कर दिनांक 15.7.2019 को उक्त प्रार्थना पत्र पर पक्षकारो की बहस नियत थी। जिसमें बिना बहस सुने ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण सं. 12 व 18 से कहा कि आपके द्वारा प्रस्तुत दावा चलने योग्य नहीं है। एवं अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थीगण की बिना बहस सुने ही पत्रावली को दिनांक 22.7.2019 को आदेश में नियत कर दी। प्रार्थीगण को अधीनस्थ न्यायालय में निष्पक्ष न्याय मिलने की कोई आशा नहीं होने के

प्रति० जिला कलेक्टर
दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

कारण प्रार्थीगण द्वारा पत्रावली उनवानी हरसहाय वगैराह बनाम गिरार्ज वगैराह दावा सं. 44/2019 को न्यायालय उप जिला कलक्टर बांदीकुई से किसी अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित करने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण की गई। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई से तथ्यात्मक टिप्पणी तलब की गई। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा संशोधित कॉज टाईटल प्रस्तुत किया गया। अधिवक्ता प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की बहस प्रार्थना पत्र पत्रावली कैम्प कोर्ट बांदीकुई में स्थानान्तरित करने व प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण पर बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र पत्रावली कैम्प कोर्ट बांदीकुई में स्थानान्तरण पर बहस के दौरान निवेदन किया कि प्रकरण बांदीकुई क्षेत्र का होने से पक्षकार की सुविधा हेतु दौसा से प्रकरण का स्थानान्तरण कैम्प कोर्ट बांदीकुई में किया जावे तथा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण में बहस के दौरान निवेदन किया कि उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई के न्यायालय में एक वाद सं. 44/2019 उनवानी हरसहाय वगैराह बनाम गिरार्ज वगैराह विचाराधीन है। जिसमे अप्रार्थीगण सं. 2 लगा. 13 द्वारा एक प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 का अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। जिसका मिन प्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत कर दिनांक 15.7.2019 को उक्त प्रार्थना पत्र पर पक्षकारो की बहस नियत थी। जिसमें बिना बहस सुने ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण सं. 12 व 18 से कहा कि आपके द्वारा प्रस्तुत दावा चलने योग्य नहीं है। मैं इस दावे को खारिज करूंगी। प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 की बहस सुने बिना ही पत्रावली को दिनांक 22.7.2019 को आदेश में नियत कर दी। अप्रार्थीगण ने पीठासीन अधिकारी अप्रार्थी सं. 1 से सांठगांठ कर ली है व अप्रार्थी सं. 1 से मिलकर प्रार्थीगण को जायज हक अधिकारों से महरूम करने पर आमादा है। अप्रार्थीगण गांव में अपने मिलने वाले से सरेआम कह रहे है कि हम आगामी पेशी पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र को निरस्त करवा देंगे। पीठासीन अधिकारी हमारे रिश्तेदार है। वाद का फैसला हमारे पक्ष में होगा। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण को न्याय की कतई उम्मीद नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र मुन्तकिल स्वीकार किया जाकर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई में विचाराधीन उक्त वाद सं. 44/2019 उनवानी हरसहाय वगैराह बनाम गिरार्ज वगैराह को किसी अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण किया जावे।

जवाब बहस में अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र पत्रावली कैम्प कोर्ट बांदीकुई में स्थानान्तरण करने पर तर्क दिया कि प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है एवं अप्रार्थीगण को परेशान करने की गरज से पहले तो दौसा न्यायालय की तारीख ली, अब प्रकरण को कैम्प कोर्ट बांदीकुई में स्थानान्तरण करवाना चाहते है। जिससे साफ जाहिर है कि प्रार्थीगण प्रकरण को लम्बे करने की गरज से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रहे है। जिसे खारिज फरमाया जावे। मुन्तकिल प्रार्थना पत्र की बहस के दौरान अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने तर्क दिया कि उपखण्ड अधिकारी के न्यायालय में विचाराधीन वाद सं. 44/2019 उनवानी हरसहाय वगैराह बनाम गिरार्ज वगैराह महज भूमि के मुआवजे को रूकवाने की गरज से प्रस्तुत किया है, ताकि हमे समय पर मुआवजा नहीं मिले। इसलिये प्रार्थीगण द्वारा पीठासीन अधिकारी पर झूठे आरोप लगवाये जा रहे है। पीठासीन अधिकारी से हमारी कोई बात नहीं हुई है। न ही पीठासीन अधिकारी हमारे रिश्तदार है। इनका यह तथ्य मनगढंत है तथा झूंठा है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मुन्तकिल खारिज फरमाया जावे।

हमने पत्रावली कैम्प कोर्ट बांदीकुई में स्थानान्तरित करने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर की गई बहस अधिवक्ता उभयपक्ष पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई के न्यायालय में उनवानी प्रकरण हरसहाय वगैराह बनाम गिर्राज वगैराह के विरूद्ध मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया। जिसमे स्वयं के द्वारा दौसा न्यायालय की दिनांक ली गई। प्रकरण में जब अप्रार्थीगण उपस्थित आये व पीठासीन अधिकारी से उक्त प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में तथ्यात्मक टिप्पणी प्राप्त होने के बाद प्रकरण बांदीकुई कैम्प कोर्ट में ले जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। पहले सहजता से प्रार्थीगण व उनके अधिवक्ता दौसा न्यायालय में आते रहे एवं कोई आपत्ति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही किया। जो न्यायोचित नहीं लगता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र कैम्प कोर्ट खारिज किया जाना हम उचित नहीं समझते है।

अति० जिला कलेक्टर
दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पर भी अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई से प्राप्त टिप्पणी का अवलोकन किया। जिससे यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण को महज लम्बा करने की गरज से मनगढन्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र मुन्तकिल प्रस्तुत किया गया है। जिसकी पुष्टि का अंकन पीठासीन अधिकारी ने अपनी टिप्पणी में किया है। प्रार्थीगण द्वारा पहले मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दौसा की दिनांक ली, फिर जब प्रकरण बहस में आया तो बांदीकुई कैम्प कोर्ट में ले जाने बाबत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया। इससे भी स्पष्ट जाहिर है कि प्रार्थीगण द्वारा महज प्रकरण को लम्बे करने की गरज से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। ऐसी स्थिति मे हम प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मुन्तकिल भी खारिज किया जाना उचित समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा पत्रावली कैम्प कोर्ट बांदीकुई में स्थानान्तरण हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है तथा उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई के न्यायालय में विचाराधीन वाद सं. 44/2019 उनवानी हरसहाय वगैराह बनाम गिरार्ज वगैराह को किसी अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण करने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मुन्तकिल भी खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई को भिजवाई जावे। प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(लोकेश कुमार मीना)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 06.09.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(लोकेश कुमार मीना)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा
अति० जिला कलेक्टर
दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official